तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दावा बाबत :– .खातेदारी अधिकारो की घोषणा अनुवान :– नानूराम बनाम तहसीलदार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी

श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

प्रार्थी अजीज खां अधिक्ता वादीगण व वादी स्वंय

श्री जगराम मीणा तहसीलदर, परबतसर

निर्णय

दिनांक :– 11.10.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अजीज खां ने यह वाद प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प खोखर में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खोखर के खसरा नम्बर 124, 307 कुल रकबा 7.47 हैक्टयर,, खसरा नम्बर 284 रकबा 7.16 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 283 रकबा 0.04 हैक्टयर गै.मु. खसरा नम्बर 118 रकबा 2.53 हैक्टयर जो सम्वत 2074–77 में स्थित है जो वादीगण व अन्य सह खातेदारो की संयुक्त खातेदारी में आई हुई है जो वादीगण को जरिये विरासत में मिली है तथा वादीगण अपने हिस्से पर काबिज है। खसरा नम्बर 124, 307 में प्रत्येक वादी का 1/10 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 283, 284 में प्रत्येक वादी का 1/40 हिस्सा, खसरा नम्बर 258, 259, 260 में प्रत्येक वादी का 1/80 हिस्सा है तथा 118 में वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा है जो जरिये विरासत में नामान्तकरण दर्ज हुई है नामान्तकरण में वादी संख्या 1 का नाम जमाबन्दी में छोटूराम पुत्र श्योदान दर्ज है जबकि वादी का नाम नानू राम पुत्र शिवदानराम दर्ज होना था छोटूराम वादी 1 का घर पर बोलता नाम है, इसी प्रकार वादी संख्या 2 का खसरा नम्बर 118 में भंवरराराम पुत्र शिवदान, खसरा नम्बर 258, 259, 260, 284, 283 में भंवरलाल पुत्र श्योदान व खसरा नम्बर 124 व 307 में भंवरा पुत्र श्योदान दर्ज है जबकि वादी संख्या 2 का सही नाम भंवरलाल पुत्र शिवदान दर्ज होना था। फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय हल्का पटवारी ने सजरा खानदान का सही अवलोकन नहीं करते वादीगण का बोलता नाम दर्ज कर दिया। वादीगण द्वारा दिनांक 15.09.2021 को किसान कैडीट कार्ड के लिऐ आवेदन करने के लिए नकल निकलवाई तो जानकारी हुई की खतौनी में वादीगण का बोलता नाम दर्ज हो रखा है। वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खोखर के खसरा नम्बर 258, 259, 260 कुल रकबा 7.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 124, 307 कुल रकबा 7.47 हैक्टयर, 284 रकबा 7.16 हैक्टयर, 283 रकबा 0.04 हैक्टयर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 118 रकबा 2.53 हैक्टयर भूमि में दर्ज छोटूराम पुत्र श्योजदानराम व भंवर पुत्र श्योदान के स्थान पर नानूराम पुत्र शिवदानराम व भंवरलाल पुत्र शिवदान घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करने की इस्तदुआ की है।

प्रतिवादीगण ने शिविर में ही पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए जबाब पेश कर निवेदन किया है कि छोटूराम पुत्र श्योदानराम भंवरा पुत्र श्योदान दोनों भाईयों का सही नाम नानूराम पुत्र शिवदानराम व भंवरलाल पुत्र शिवदान है राजस्व रिकार्ड के अलावा वादीगण के सभी दस्तावेजो में नाम नानूराम व शिवरदानराम व भंवरलाल पुत्र शिवदान दर्ज रिकार्ड है इसके अतिरिक्त ग्राम में इन नामों के अन्य ओर कोई व्यक्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

जिससे वादीगण का नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। वादीगण ने शिविर में 50– 50 रूपये के स्टाम्प पर साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश कर वाद पत्र की तायद की है।

हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी । पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। विधि के सुसंगति प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 पेश की है जिसमें ग्राम खोखर के खसरा नम्बर 258, 259, 260 कुल रकबा 7.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 124, 307 कुल रकबा 7.47 हैक्टयर, 284 रकबा 7.16 हैक्टयर, 283 रकबा 0.04 हैक्टयर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 118 रकबा 2.53 हैक्टयर भूमि में दर्ज छोटूराम पुत्र श्योजदानराम व भंवरा पुत्र श्योदान दर्ज है। वादीगण ने वाद पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन–आधार कार्ड आदि की प्रतियां पेश की है, जिसमें वादीगण का नाम नानूराम पुत्र शिवदानराम, भंवरा पुत्र शिवदान दर्ज है। शिविर में उपस्थित सरपंच, वार्ड पंच एवं अन्य सभी मौजीज व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करने पर भी उनके द्वारा वादीगण का सही नाम नानूराम पुत्र शिवदान व भंवलाल पुत्र शिवदान होना बताया ैं तथा छोटूराम व नानूराम तथा भंवरा व भंवरलाल नाम के वादीगण दोनों की व्यक्ति है इसके अतिरिक्त अन्य ओर कोई व्यक्ति नहीं है। वादीगण ने 50– 50 रूपये के सटाम्प पेपर पर शपथ पत्र पेश किया है, तथा राजपैरोकार प्रतिवादीगण ने जबाब पेश कर वादीगण के वाद को सही होना स्वीकार किया है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021 में लाग अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिकी किया जाता है कि ग्राम खोखसर के खसरा नम्बर 258, 259, 260 कुल रकबा 7.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 124, 307 कुल रकबा 7.47 हैक्टयर, 284 रकबा 7.16 हैक्टयर, 283 रकबा 0.04 हैक्टयर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 118 रकबा 2.53 हैक्टयर भूमि में दर्ज छोटूराम पुत्र श्योजदानराम व भंवरा पुत्र श्योदान के स्थान पर नानूराम पुत्र शिवदानराम, व भंवराराम पुत्र शिवदान घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण का नाम दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज ग्राम पंचायत खोखर शिविर में मजमे आम सुनाया गया।

11/10/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)